यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी** के माह जनवरी 2015 से नवम्बर 2016 तक के अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री संतोष कुमार गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अश्विनी कुमार पाण्डेय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10.12.2016 से 23.12.2016 तक श्री शशिकान्त पाण्डेय, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राकेश रंजन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री वीरेन्द्र सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 16.01.2015 से 28.01.2015 तक श्री प्रेमचंद्र, लेखापरीक्षा अधिकारीके पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2012 से 12/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 01/2015 से 11/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी द्वारा जनपद के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराये जाते है।

(II) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	186.64	-	24.15	190.04	110	110	20.75	-
2015-16	-	-	1306.95	1063.93	260	260	243.02	-
2016-17 (11/2016)	-	-	940.48	817.62	40	40	122.86	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(यदि लेखापरीक्षा अवधि तीन वर्ष से अधिक हो तो सम्पूर्ण अवधि का बजट आवंटन एवं व्यय विवरण अंकित किया जाय)

(III) इकाई को बजट आवंटन (राज्य सरकार) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई (अ) श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है

(संगठनात्मक ढांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित किया जाय)

(IV) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः- लेखापरीक्षा में **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किए जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी** की लेखा परीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 06/2016 एवं 02/2015 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। शून्य **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी** का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन शून्य (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखपरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

Organizational Structure (संगठनात्मक ढांचा)

क्रम संख्या	पद का नाम
1.	सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
2.	महानिदेशक
3.	निदेशक
4.	अपर निदेशक/मुख्य चिकित्साधिकारी/प्रमुख अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
5.	संयुक्त निदेशक/चिकित्सा अधीक्षक
6.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी
7.	चिकित्साधिकारी
8.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
9.	प्रशासनिक अधिकारी
10.	प्रधान सहायक
11.	वरिष्ठ सहायक
12.	कनिष्ठ सहायक
13.	चतुर्थ श्रेणी

भाग-III

1- विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो(अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो(ब) प्रस्तर संख्या
2012-13	--	--
2014-15	01	1, 2, 3, 4

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई ने अपने उत्तर में बतलाया की विगत वर्षों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सीधे ही महालेखाकार (ले.प.) कार्यालय देहरादून को भेजा जाएगा।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हो) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

----------शून्य----------

<u>भाग-दो(ब)"</u>

प्रस्तर-1- चिकित्सक के अभाव मे हृदय रोग संस्थान एवं आईसीसीयू के चार चार वर्षो से अप्रयुक्त रहने के कारण रोगियों का चिकित्सीय सुविधा से वंचित रहना और रु. 57.72 लाख के संस्थापित उपकरणों के से होने के बावजूद अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति न होना।

कार्यालय प्रमुख अधीक्षक, बेस अस्पताल, सोबन सिंह जीना, हल्द्वानी के लेखा परीक्षा के दौरान संप्रेक्षा ने पाया कि हृदय से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं हेतु एक अलग से विशिष्ट हृदय रोग संस्थान एवं आईसीसीयू इकाई का स्थापना किया गया था। इस इकाई का उद्देश्य हृदय से जुड़े बीमारियों का डायग्नोसिस, परीक्षण एवं निदान करना है।

संप्रेक्षा दल ने अपने जांच मे पाया कि हृदय रोग संस्थान एवं आईसीसीयू इकाई वर्तमान मे अक्रियाशील है। इकाई से संबन्धित अभिलेखों कि जांच मे पाया गया कि यह इकाई वर्ष 2012 से ही अप्रयुक्त है।

इकाई के ओपडी मे रखे ईसीजी रजिस्टर का जांच करने पर भी इस तथ्य का पुष्टि होता है कि मई 2012 के बाद से ही यहाँ पर चिकित्सक द्वारा किसी भी प्रकार के हृदय संबंधी प्रकरण नहीं देखा गया था। यही तथ्य Indoor Payment Register की जांच से भी प्रकाशित होता है।

Manish Overseas (Electronics) द्वारा दिनांक 15.07.1998 को टीएमटी मशीन CMSD आर्डर संख्या VIII.F/Q-C-104/T.M.T/5754 दिनांक 24.06.1998 द्वारा हृदय संस्थान मे दिनांक 15.07.1998 को स्थापित किया गया था। अभिलखों की जांच से विदित होता है कि इस मशीन के संचालन हेतु नियमित अंतराल पर टीएमटी ग्राफ पेपर उपरोक्त फर्म से ही मंगाया जाता रहा। परंतु माह अगस्त 2000 के बाद से ही कोई भी टीएमटी ग्राफ पेपर नहीं मंगाया गया था। ओपीडी मे रखे हुए टीएमटी रजिस्टर के अवलोकन से विदित हुआ कि जून 2001 के बाद से ही टीएमटी मशीन द्वारा कोई भी कार्य नहीं लिया गया था।

इस प्रकार उक्त मशीन 14 वर्षो से अक्रियशील है। स्थानीय सहायक द्वारा संप्रेक्षा को बतलाया गया कि उक्त मशीन खराब हो चुका है।

चित्र: टीएमटी मशीन का मॉनिटर, प्रोसेसर एवं टेस्टिंग मॉड्यूल, सोबन सिंह जीना हॉस्पिटल, हल्द्वानी

अभिलेखों के जांच से विदित हुआ कि उक्त हृदय रोग संस्थान एवं आईसीसीयू इकाई मे वर्ष 2012 के बाद से ही कोई भी स्थायी नियुक्ति नहीं हुआ था।

परंतु, पत्रांक ई-1/2016-17/3071 दिनांक 04.11.2016 द्वारा कार्यालय ने महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को को सूचित किया कि कार्डियोलोजिस्ट (वेतनमान 15600-39100-5400) का एक पद विगत तीन वर्षों से रिक्त है। यह कथन साक्ष्यों के विपरीत है, क्योंकि वर्ष 2012 कोई भी स्थायी चिकित्सक का नियुक्ति यहाँ नहीं हुआ है।

कार्डियोलोजिस्ट की नियुक्ति नहीं होने के कारण क्षेत्र कि जनता को यह हृदय रोग संस्थान एवं आईसीसीयू इकाई करोड़ो रुपए के यंत्र/मशीने लगे होने के बावजूद स्वास्थ्य संबंधी सेवाएँ देने मे असक्षम रहा था।

वर्तमान मे इस इकाई मे केवल दो सहायिकाये मात्र थी। इस हृदय रोग संस्थान मे हृदय रोग संबंधी किसी भी बीमारी का निदान नहीं किया जाता है।

इस हृदय रोग संस्थान मे इनोवेशन मेडिकेयर टेकनोंलोजी द्वारा दिनांक 23.09.2006 को रु. 49.23 लाख मूल्य का इको मशीन संस्थापित किया गया था। मशीन को संस्थापित करते समय इस मशीन को संचालित करने हेतु कोई भी प्रशिक्षित कर्मचारी कार्यालय के पास नहीं था। पत्रांक एस-1/2006-07/281 दिनांक 12.09.2006 से संप्रेक्षा के मत कि पुष्टि होती है।

चित्र: हृदय रोग संस्थान एवं आईसीसीयू इकाई, सोबन सिंह जीना हॉस्पिटल, हल्द्वानी

संप्रेक्षा ने अपने जांच मे पाया कि संस्थापित होने के बाद से वर्तमान तक, 10 वर्ष ब्यतित हो जाने के बाद भी, उक्त मशीन से कोई भी कार्य नहीं लिया गया था। इकाई ने संप्रेक्षा को ईको मशीन से संबन्धित कोई भी ओपीडी रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया था।

हृदय रोग संस्थान मे वर्ष 2008 मे होल्टर मशीन स्थापित हुआ था। अभिलेखों की जांच एवं विगत पत्राचार से विदित होता है कि उक्त मशीन उसी वर्ष मे ही खराब[1] हो गया था। आगामी वर्षों मे प्रभारी, हृदय रोग संस्थान द्वारा इस मशीन को ठीक कराने हेतु वर्ष 201, 2011, 2012 मे भी पत्राचार किया गया था। 2012 के बाद से ही यह मशीन अप्रयुक्त और खराब स्थिति मे बना रहा।

विगत चार वर्षों से हृदय रोग संस्थान & आईसीसीयू संस्थान के अकार्यशील रहने के कारण के बारे मे पुछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बतलाया कि कार्डियोलोजिस्ट की तैनाती नहीं होने के कारण उक्त संस्थान अकार्यशील रहा।

[1] संदर्भ: आईसीसीयू प्रभारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, सोबन सिंह जीना बेस च्कित्सालय, हल्द्वानी को दिनाक 14.07.2009, को लिखित पत्र

उक्त संस्थान हल्द्वानी के घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्र मे स्थित होने के कारण मरीजो को इसकी अत्याधिक आवश्यकता है। परंतु, इकाई ने अपने उत्तर मे बतलाया कि सोबन सिह जीना बेस चिकित्सालय मे हृदय रोगियों को इलाज हेतु कोई वैकल्पिक ब्यवस्था नहीं किया गया था।

इकाई ने अपने उत्तर मे बतलाया कि महनिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून के पत्रांक 15प/भंडार/9/ऑडिट/2013/23226 दिनांक 26/10/2016 के अनुपालन मे टीएमटी मशीन के 14 वर्षों से खराब और निष्क्रिय पड़े होने के बाद वर्तमान मे मशीन को निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलामी करने कि प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया गया है।

पूर्व उल्लेखित ईको एवं होल्टर मशीन भी क्रमशः 10 एवं 8 वर्षो से खराब/अप्रयुक्त अवस्था मे बिना किसी देखभाल के पड़ी हुई है।

इको मशीन

इकाई ने अपने उत्तर मे बतलाया कि महानिदेशक के दिशा-निर्देश अनुसार इन मशीनों को निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलामी करने का कार्यवाही प्रारम्भ किया जा रहा है।

इकाई के अनुसार उपरोक्त मशीनें महानिदेशालय स्तर से प्राप्त हुई थी। मशीनों के संबंध मे कार्यालय द्वारा भेजा गया माँगपत्र (indent) संप्रेक्षा को उपलब्ध नहीं काराया जा सका था।

इकाई द्वारा द्वारा दिये गए उत्तर से संप्रेक्षा के मत की पुष्टि होती है की बिना उचित आवश्यकता-विश्लेषण (need analysis) किए और बिना प्रशिक्षित स्टाफ की तैनाती के ही महानिदेशालाय द्वारा टीएमटी मशीन, होल्टर मशीन और एको मशीन बेस अस्पताल, सोबन सिंह जीना, हल्द्वानी को भेज दिया गया था।

इस प्रकार हृदय रोग संस्थान मे रु. 7.81 लाख का टीएमटी मशीन, रु. 0.68 लाख का होल्टर मशीन एवं रु. 49.23 लाख का इको मशीन 6-10 सालों तक निष्क्रिय और बिना देखभाल के पड़े थे।

अतः चिकित्सक के अभाव मे हृदय रोग संस्थान एवं आईसीसीयू के चार चार वर्षो से बंद रहने के कारण रोगियों का चिकित्सीय सुविधा से वंचित रहने और रू. 57.22 लाख संस्थापित उपकरणों के होने के बावजूद अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति होने का प्रकरण शासन एवं विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-2- मुख्य मंत्री स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत अनुबंधित बीमा कंपनी के बंद हो जाने एवं समय से प्रतिपूर्ति नहीं किए जाने के कारण ` 44.33 लाख की हानि (Loss)।

उत्तराखण्ड राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को संचालित किए जाने के उद्देश्यों से शासनादेश संख्या 100-XXXVIII-4-2015-58/2014 TC दिनांक 10.02.2015 में निर्देश निर्गत किए गये थे। निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारम्भ दिनांक 26.01.2015 से किया गया, जिसके आदेश के बिन्दु संख्या 5(1) एवं (2) के अनुसार ` 50,000 तक के लाभ के लिए निर्धारित प्रीमियम दर ` 335 × कुल आर.एम.बी.आई. आच्छादित परिवारों की संख्या का 25 प्रतिशत राज्य सरकार एवं 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तथा आर.एस.बी.आई. आच्छादित परिवारों के अतिरिक्त एम.एस.बी.वाई. के अंतर्गत आच्छादित परिवारों की संख्या का शत-प्रतिशत प्रीमियम की धनराशि को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

कार्यालय के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित अभिलेखों की जांच में संप्रेक्षा ने पाया कि 2015-16 में स्वास्थ्य बीमा सेवा प्रदान करने हेतु "मिडसेव" कम्पनी से अनुबंध किया गया था। वर्तमान में "मिडसेव" बीमा कम्पनी के बंद हो जाने के बाद ` 44.33 लाख की वसूली किया जाना अब संभव नहीं है। अतः बीमा मद में प्रतिपूर्ति हेतु लंबित ` 44.33 लाख वास्तव में राजकोष की क्षति/हानि (Loss) है।

इकाई बीमा कम्पनी "मिडेसव" में एमओयू संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं करा सका था। वर्तमान में "बजाज एलायंज" द्वारा स्वास्थ्य बीमा कम्पनी सेवाएँ प्रदान किया जा रहा था।

बीमा के इस बकाया/अप्राप्त राशि के बारे में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बतलाया कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि को व्ययित/प्रयुक्त करने हेतु भी कोई भी दिशा निर्देश उपलब्ध नहीं है।

इस प्रकार मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत अनुबंधित बीमा कंपनी के बाद हो जाने एवं समय से प्रतिपूर्ति नहीं किए जाने के कारण ` 44.33 लाख की हानि (Loss) प्रकरण को उच्चाधिकारियों एवं शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-3- गैरनियोजित तरीके से खरीदे गए उपकरणों के अप्रयुक्त रहने के कारण रु. 109.49 लाख का अवरूद्ध रहना।

इकाई की संप्रेक्षा के दौरान पाया गया कि जिले का एकमात्र सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल, हल्द्वानी मे वर्ष 2006 मे पाँच विशेष उपकरण एवं वर्ष 2009 मे दो विशेष उपकरण संस्थापित किए गए थे। संप्रेक्षा मे पाया गया कि ये उपकरण अधिकतम 9 वर्षों तक (सारणी-1 देखें) से अकार्यशील है। प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव मे उपयोग नहीं किए जाने, अप्रयुक्त रहने एवं रख-रखाव के अभाव मे ये मशीनें अप्रासंगिक हो चुकी हैं। इस प्रकार के मशीनों/उपकरणों का विवरण निम्नवत है-

सारणी-1

(रु. लाख में)

क्रम सं	मशीन का नाम	खरीद का वर्ष	मशीन का मूल्य (रु. लाख मे)	स्थानीय क्रय या निदेशालय स्तर से क्रय	किस कार्य हेतु क्रय किया गया	अप्रयुक्त होने का वर्ष
1	लिथोटिप्टर	2006	15.08	निदेशालय	किडनी स्टोन	2006
2	लैब कोली सेट	2006	25.26	निदेशालय	गाल ब्लेडर	2006
3	टीयूआर सेट	2006	13.34	निदेशालय	प्रोस्टेट आपरेशन	2006
4	आर ओ प्लांट	2006	5.93	निदेशालय	डायलिसिस	2006
5	हीमोडायलिसिस	2006	10.85	निदेशालय	डायलिसिस	2006
6	सिंगल पंचर लेप्रोस्कोपी	2009	2.63	निदेशालय	मैटरनिटी टेस्ट	2009
7	एबीएस मशीन	2009	36.4	निदेशालय	खून की जांच	2009
		योग	109.49			

संप्रेक्षा द्वारा किए गए प्रश्नों के उत्तर मे कार्यालय ने अपने उत्तर मे बतलाया कि उपरोक्त मशीनों का क्रय महानिदेशालय स्तर पर किया गया था। इन मशीनों को खरीदने अथवा महानिदेशालय से प्राप्त करने के पूर्व मे उसकी वास्तविक आवश्यकता का विश्लेषण (need analysis) नहीं किया गया था और कार्यालय के पास माँगपत्र (indent) भी उपलब्ध नहीं था।

इन मशीनों को संस्थापित (install) करते समय संबन्धित अनुभाग मे प्रशिक्षित स्टाफ या चिकित्सक का तैनाती नहीं था।

अतः गैरनियोजित तरीके से खरीदे गए उपकरणों के अप्रयुक्त रहने के कारण रु. 109.49 लाख के अवरूद्ध रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर-4-नियमों का उलंघन करते हुये रू0 20.16 लाख के दवाओं का स्थानीय क्रय।

सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी, नैनीताल द्वारा औषधियों के स्थानीय क्रय से संबंधित पत्रावली एवं उपलब्ध करायें गये सूचनाओं का अवलोकन करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि विगत 2015–16 एवं 2016–17 (लेखापरीक्षा तिथि तक) विभिन्न बैंचों में चिकित्सालय द्वारा क्रमशः 5.70 लाख एवं 14.46 लाख की औषधियों/सर्जिकल सामग्रियों का क्रय शासनादेश संख्या 932/XXVIII–4 2014–28 (8)/2012 दिनांक 13 जुलाई 2015 के क्रम संख्या 15 में निहित प्रावधानों के अनुसार आकस्मिकता में औषधियों/सामग्री क्रय किये जाने हेतु एक स्तर के उपर के अधिकारी के अनुमोदन के उपरांत उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति संशोधन नियमावली 2015 के अंतर्गत स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 08 के अन्तर्गत 50000 की सीमा तक क्रय किये जाने की सीमा के अंदर क्रय किया गया था। पत्रावली के अवलोकन में यह तथ्य प्रकाश में आया कि चिकित्सालय द्वारा विगत दो वर्षो में विभिन्न बैचों में (सूची संलग्न) क्रय किये जाने वाले विभिन्न औषधियों के लिए वर्ष 2015 में केवल एक बार पत्र संख्या ए–1/2015–16–3425 दिनांक 26–11–2015 एवं वर्ष 2016–17 एक बार पत्र संख्या ए–1/2016–17–3437 दिनांक 22–11–2016 द्वारा निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य कुमायु मंडल द्वारा अति आवश्यक औषधियों/सर्जिकल सामग्रियों में 50 हजार तक की औषधियों/सर्जिकल क्रय करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया था। जबकि वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में उपरोक्त नियमों के तहत वित्तीय सीमा के अन्तर्गत क्रय करने हेतू एक ही तिथियों में औषधि क्रय हेतु अलग–अलग आदेश के सापेक्ष अलग–अलग बीजक पर भुगतान किया गया था (प्रपत्र –01 एवं 02)। इस प्रकार वर्ष 2015–16 में कुल रू0 569506 एवं वर्ष 2016–17 (लेखापरीक्षा अवधि तक) में कुल रू0 1445712 की औषधियों का क्रय स्थानीय क्रय के आधार पर किया गया था।

इस संबंध में इकाई से पूछे जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि उच्चाधिकारियों से बार–बार पत्राचार करने के उपरांत भी वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में केवल एक बार अनुमोदन प्राप्त हुआ था जबकि औषधियों का क्रय आकस्मिकता के आधार पर अधिप्राप्ति नियमावली –2008 एवं संशोधित नियमावली 2015 के प्रावधानों के अनुसार निम्नतम दर पर किया गया था। पुनः इकाई से क्रय सीमा के अन्तर्गत औषधि क्रय के लिए क्रय आदेश को विभक्त करने के संबंध में पूछे जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि औषधियों की आवश्यकता के आधार पर औषधियों के क्रय के लिए विभिन्न तिथियों को क्रय आदेश जारी किये गये थे परन्तु आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा बीजक एक ही तिथि को प्रस्तुत किया गया था। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि महानिदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या शासनादेश संख्या 932/XXVIII–4 2014–28 (8)/2012 दिनांक 13 जुलाई 2015 के क्रम संख्या 15 में निहित प्रावधानों के अनुसार आकस्मिकता में औषधियों/सामग्री क्रय किये जाने हेतु एक स्तर के उपर के अधिकारी के अनुमोदन के उपरांत आकस्मिकता यथा बाढ़, आपदा दुर्घटना की स्थिति में उत्तराखण्ड

अधिप्राप्ति संशोधन नियमावली 2015 के अंतर्गत स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 8 के अर्न्तगत 50000 की सीमा तक ही किया जा सकता है। उपरोक्त क्रय हेतु चिकित्सालय द्वारा उच्चाधिकारी से मांगी गयी संस्तुती में भी चिकित्सालय को रू0 50000 की औषधि क्रय करने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

इस प्रकार नियमों का उलंघन करते हुये रू0 20.16 लाख के स्थानीय स्तर पर औषधि क्रय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर -5-: रू0 86520 के उपकरण पर अनुपयोगी व्यय।

सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी के मृत भण्डार पंजिका के अवलोकन में यह तथ्य प्रकाश में आया कि कि वर्ष 2015 में चिकित्सालय द्वारा महानिदेशक, द्वारा किये गये दर अनुबंध के आधार पर मै0 समीक्षा इण्डस्ट्रीज, नेहरू कालोनी, देहरादून से आई0सी0यू0 मल्टी पैरा मॉनीटर का क्रय वर्ष 2014–15 में बीजक संख्या 527 दिनांक 16–03–15 को रू0 86520 में किया गया था साथ में रू0 4400 में 04 वर्ष की सी0एम0सी0 03 वर्ष की वारंटी अवधि के बाद की गयी थी।

इस संबंध में चिकित्सालय से पूछे जाने पर कि क्या चिकित्सालय मे आई0सी0यू0 संचालित किया जा रहा है एवं यदि आई0सी0यू0 संचालित नहीं किया जाता है तो मल्टी पैरा मॉनीटर का क्रय किस लिये किया गया था। इकाई ने अवगत कराया कि चिकित्सालय में आई0सी0यू0 संचालित नहीं है तथा आपरेशन के समय आवश्यकता को देखते हुये उपरोक्त उपकरण का क्रय किया गया था। साथ ही इकाई ने यह भी अवगत कराया कि आई0सी0यू0 मल्टी पैरा मॉनीटर कार्यरत अवस्था में नहीं है तथा सी0बी0यु0एस0 में कार्यरत सिस्टर इस संचालित करने में सक्षम नहीं है। इस प्रकार इकाई द्वारा स्वतः ही लेखापरीक्षा की आपत्ति की पुष्टि होती है क्योकि बिना आई0सी0यू0 संचालन के आई0सी0यू0 मल्टी पैरा मॉनीटर के क्रय के निहित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो रही है।

इस प्रकार रू0 86520 के आई0सी0यू0 मल्टी पैरा मॉनीटर के विगत दो वर्षो से अनुपयोगी रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- वित्तीय अनुशासन के अनुपालन एवं विभागीय शिथिलता के कार त्रुटिपूर्ण भुगतान एवं विभागीय प्राप्ति की क्षति।

सोबन सिंह जीना बेस हास्पिटल, हल्द्वानी में भर्ती रोगियों को भोजन व्यवस्था आपूर्ति के ठेके संबंधी अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इस हेतु आमंत्रित निविदा में चयनोपरान्त M/S एलर्ट डेकोर को दिनांक 01.08.12 से वित्तीय वर्ष 2012-13 की समाप्ति अथवा अग्रिम निविदा स्वीकृत होने तक के लिये अनुबंधित किया गया था।

भोजन के निर्माण हेतु चिकित्सालय द्वारा M/S एलर्ट डेकोर को कीचन (ल. 25 फुट एवं चौ. 15 फुट लगभग) मात्र बिजली एवं पानी कनेक्शन उपलब्ध कराया गया। अभिलेखों की जांच से स्पष्ट हुआ कि चिकित्सालय द्वारा M/S एलर्ट डेकोर से कोई किराया (किचन का) नहीं लिया जा रहा है और बिजली एवं पानी का बिलों का भुगतान भी चिकित्सालय द्वारा किया जा रहा है। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार वर्ष 2012-13 हेतु किये गये अनुबंध को विस्तारित करते हुये लेखापरीक्षा तिथि तक M/S एलर्ट डेकोर की सेवायें प्राप्त किया जाना जारी थी। चूंकि इस संबंध में चिकित्सालय द्वारा भुगतान से संबंधित कोई सूचना/अभिकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः कुल भुगतान की धनराशि एवं किराये के रूप में प्राप्त हो सकने वाली की गणना सम्भव नहीं हो सकी है।

लेखापरीक्षा द्वारा यह तथ्य कि बिजली एवं पानी के बिलों का भुगतान त्रुटिपूर्ण एवं नियम विरूद्ध था तथा किराये की वसूली की जानी चाहिये थी, विभाग ने उत्तर में बताया कि उच्चाधिकारियों एवं सी.पी. एस. से दिशा निर्देश प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है अतः अस्वीकार्य है। क्योंकि उक्त प्रकरण उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार 2012-13 से चिकित्सालय के संज्ञान में था। अतः अपेक्षित उचित कार्यवाही की जानी चाहिए थी।

प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

(अ) शून्य

(I) **अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या**

3. सतत् अनियमितताएः-

(अ) शून्य

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डॉ. सुरेश चन्द्र पन्त	प्रमुख अधीक्षक	06.11.2014 से 08.07.2016
2.	डॉ. मदन सिंह वोहरा	कार्यालय प्रमुख अधीक्षक	09.07.2016 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय)।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)